

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- डॉ एस.पी. सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 132/17

बउनवान

तोलाराम उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप जाति-मेघवाल निवासी  
तहसील-बारां जिला-बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ज्य तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉण्डेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री बालमुकुन्द गुर्जर, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉण्डेंट)

निर्णय दिनांक- 22.02.2018



अपीलांट ने जर्ज्य अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 19.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-नारेडा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 828 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉण्डेंट को जर्ज्य सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)



आराजी अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी के पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर साक्ष्य लिया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई स्वतंत्र स्वाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से आराजी को कब्जा छोड़ दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी आराजी करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निसत्यमेव जयते।


अधीनस्थ न्यायालय ने अपील पर परोकार सरकार ने अपील का खण्डन करते हुए विवेक किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 421/12 निर्णय दिनांक 10.5.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपील व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपील पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 421/12 निर्णय दिनांक 10.5.2012 में भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपील की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 198/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
बारां (राज०)